ई0मेल

संलग्नक-1

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 2378 / रा.नि.आ.-लेखा/2568/2019

दिनांक 06/3/2019

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

विषयः- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्ययों के लिए मानकों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु विभिन्न मदों में **संलग्न तालिकानुसार** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित मानक से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

कृपया उक्त सम्वन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका में निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय
06/03/19
(रोशन लाल)
सचिव।

संख्याः- / रा0नि0आ0-लेखा / 2568 / 2019 तददिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमायुं एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड, (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
4. अनुभाग-2, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

(रोशन लाल)
सचिव।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135 - 2670457 , 2670998
टेलीफैक्स 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल sec.uttarakhand@gmail.com

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 में होने वाले व्ययों हेतु निर्धारित मानक

1– मजदूरी (मानक मद संख्या–02)– निर्वाचन के दौरान गोदामों से मतपेटी, स्टील बॉक्स व अन्य निर्वाचन सामग्री की चढाई / उतराई हेतु मानक दरों का निर्धारण निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	रोड हेड से स्टोर तक की दूरी	भरा बाक्स	खाली बाक्स	मतपेटिकायें
1.	0–100 मीटर तक	रू0 30.00	रू0 06.00	रू0 03.00
2.	101–200 मीटर तक	रू0 05.00 अतिरिक्त	रू0 1.00 अतिरिक्त	रू0 1.00 अतिरिक्त
3.	201–300 मीटर तक	रू0 05.00 अतिरिक्त	रू0 0.50 अतिरिक्त	रू0 0.50 अतिरिक्त
4.	301–400 मीटर तक	रू0 02.00 अतिरिक्त	रू0 0.50 अतिरिक्त	रू0 0.50 अतिरिक्त
5.	401–500 मीटर तक	रू0 02.00 अतिरिक्त	रू0 0.50 अतिरिक्त	रू0 0.50 अतिरिक्त
6.	501–1000 मीटर तक	रू0 02.00 अतिरिक्त प्रति सौ मीटर	रू0 0.50 अतिरिक्त प्रति सौ मीटर	रू0 0.50 अतिरिक्त प्रति सौ मीटर

2– यात्रा भत्ता व्यय (मानक मद संख्या–04)

(1) निर्वाचन से संबंधित कार्य हेतु ऐसे कर्मी जिन्हे मतपत्रों आदि के लिय रूडकी, निर्वाचन सामग्री के लिये आयोग मुख्यालय एवं निर्वाचन सम्बन्धी डाक वितरण आदि कार्य के लिए भेजा जायेगा, को शासनादेशानुसार अनुमन्य सामान्य यात्रा व्यय / दैनिक भत्ता देय होगा।

(2) मतदान / मतगणना हेतु जोनल मजिस्ट्रेट / सेक्टर मजिस्ट्रेट / पुलिस के जोनल एवं सेक्टर अधिकारी / पीठासीन अधिकारी / मतदान पर्यवेक्षक / मतदान अधिकारी / मतगणना सहायक / हल्के वाहन चालक / सुरक्षा कर्मी एवं चतुर्थ श्रेणी द्वारा की गई यात्रा अवधि में यात्रा व्यय के अतिरिक्त दैनिक भत्ते का भुगतान का मानक निम्न प्रकार होगा:–

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पारिश्रमिक की न्यूनतम धनराशि (रू0 में)
1.	जोनल मजिस्ट्रेट / सेक्टर मजिस्ट्रेट / पुलिस के जोनल एवं सेक्टर अधिकारी	₹ 1500.00 एक मुश्त
2.	पीठासीन अधिकारी / मतगणना पर्यवेक्षक	₹ 350.00 प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
3.	मतदान अधिकारी / मतगणना सहायक	₹ 250.00 प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
4.	हल्के वाहन चालक जो मतदान / मतगणना में ड्यूटी करेंगे	₹ 250.00 वास्तविक ड्यूटी के दिनों हेतु
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 150.00 प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए

1. उक्त धनराशि का भुगतान मतदान / मतगणना ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कार्मिकों (आरक्षित ड्यूटी सहित) को निर्वाचन प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री आदि प्राप्त करने, मतदान ड्यूटी एवं मतगणना ड्यूटी के फलस्वरूप किया जायेगा। अर्थात् कोई भी कार्मिक जिसे निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादन / संचालन हेतु मतदान / मतगणना ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, को उक्तानुसार आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः............2

2. निर्वाचन ड्यूटी का आशय सामान्यतः उस अवधि से होगा जबकि निर्वाचन के पूर्वाभ्यास के लिए कोई भी मतदान/मतगणना कार्मिक अपने निवास/कार्यालय/मुख्यालय से जिस समय और तिथि में प्रस्थान कर उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान/स्थानों पर निर्वाचन के पूर्वाभ्यास हेतु उपस्थित हुआ है और पूर्वाभ्यास की समाप्ति के पश्चात् सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय/मुख्यालय पर वापस पहुंचा है। इसी प्रकार मतदान हेतु निर्धारित तिथि में निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान की समाप्ति के पश्चात् संग्रह केन्द्र पर शील्ड मतपेटिकायें तथा अन्य अभिलेख जमा करने एवं मतगणना की समाप्ति के उपरान्त सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय/मुख्यालय पर वापस पहुंचने तक की अवधि को भी तदनुसार दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
3. उक्त काल अवधि में आवागमन के लिए प्रत्येक कार्मिक को उसके निवास/कार्यालय/मुख्यालय से निर्वाचनके पूर्वाभ्यास/सामग्री प्राप्ति के लिए नियत स्थान तक पहुंचने और पूर्वाभ्यास/ मतदान/मतगणना की समाप्ति के पश्चात उन्हें अपने नियत निवास/कार्यालय/मुख्यालय वापस जाने के लिए सामान्य रूप से वाहन का अनुमन्य किराया देय होगा, किन्तु उक्त अवधि में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा में कोई किराया भाड़ा देय नही होगा। किसी भी कार्मिक को उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई आनुशांगिक व्यय आदि देय नही होगा।
4. मतदान/मतगणना ड्यूटी के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु किसी भीअधिकारी/कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यात्रा भत्ता बिल/देयक जमा कर दिये जाने के बाद देयकों का भुगतान 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।
6. मतदान एंव मतगणना कर्मियों का पूर्वाभ्यास विकेन्द्रीकृत करके तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कराया जाये जिससे कर्मचारियों को कम से कम स्थानीय यात्रा करनी पड़े।
7. आर0ओ0/ए0आर0ओ0 तथा उनकी सहायता में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा व्यय का दावा नियत समय में कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला निर्वाचन कार्यालय तत्संबधी देयकों का भुगतान एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।
8. मतगणना के सम्बन्ध में प्रतिदिन को प्रति शिफ्ट माना जायेगा।

3– <u>मानदेय (मानदक मद संख्या–07)</u>– त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 में कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है जिसका भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा:–

1. मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा पृथक से निर्धारित दरों के अनुरूप किया जायेगा।
2. राजकीय वाहन चालकों को मानदेय का भुगतान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति/अनुशंसा के बाद उनके पैतृक विभाग से किया जायेगा।

4– <u>लेखन सामग्री क्रय (मानक मद संख्या–11)</u> -- इस मद में मतदान सामग्री, प्रपत्रों की छपाई, लेखन सामग्री, निर्वाचन हेतु मोहरें, फोटो कापी तथा मतगणना इत्यादि पर होने वाले व्ययों के मानकों का निर्धारण किया गया है:–

(1) <u>मतदान सामग्री</u>

प्रति मतदान स्थल– रू0 300.00 प्रति किट

(इस मद में सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित किये जाने वाले टेण्डर पूर्ण किट हेतु ही मांगे जाए, किट की सूची में सम्मिलित कोई प्रपत्र अलग से न मुद्रित कराया जाए)

क्रमशः............3

(2) प्रपत्रों की छपाई:—निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के प्रपत्रों एवं बैज के मुद्रण हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं:—

क— 1. ए—4 साइज के कागज पर मुद्रित होने वाले प्रपत्रों हेतु — रू0 350.00 प्रति हजार

2. ए—4 साइज के आधे कागज पर मुद्रित होने वाले प्रपत्रों हेतु — रू0 150.00 प्रति हजार

3. ए—4 साइज के चौथाई कागज पर मुद्रित होने वाले प्रपत्रों हेतु — रू0 75.00 प्रति हजार

(नोट:— समस्त प्रकार के प्रपत्रों का मुद्रण 57 जी0एस0एम0 गुणवत्ता वाले कागज पर ही कराया जाये)

ख— मतदान / मतगणना कार्मिकों एवं प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के लिए सभी प्रकार के बैज या उनके अनुरूप अन्य बैज 7X10cm साइज की कार्ड शीट एवं 120 जी0एस0एम0 गुणवत्ता वाले कागज पर मुद्रित कराये जाने हेतु। — रू0 350.00 प्रति हजार

(3) लेखन सामग्री / रबर की मोहरें / फोटोस्टेट आदि:— त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 संपन्न कराने हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर उक्त कार्य कराये जाने है जिस हेतु एक मुश्त धनराशि के मानक निम्न प्रकार हैं:—

जनपद हेतु — रू0 60,000.00 प्रति जिला

विकास खण्ड हेतु — रू0 12,000.00 प्रति वि0खण्ड

(4) मतगणना सामग्री:—

एक मतगणना केन्द्र हेतु 14 मेज एवं 01 केन्द्रीय मेज की दशा में— रू0—3,500.00 मात्र

(प्रति मतगणना केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अनुसार ही किट बनवाकर सामग्री का क्रय टेण्डर / कोटेशन के आधार पर ही किया जाय)

5— टेलीफोन व्यय (मानक मद संख्या—13)— त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 संपन्न कराने हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर दूरसंचार व्यवस्था एवं ई0मेल आदि के व्ययों के मानकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:—

(1) निर्वाचन हेतु प्रति विकास खण्ड— रू0 6000.00

(2) निर्वाचन हेतु प्रति जनपद स्तर— रू0 18000.00

(उक्त निर्धारित मानक के अन्तर्गत पंचास्थानि चुनावलय, कन्ट्रोल रूम तथा प्रेक्षक आदि के टेलीफोन तथा फैक्स बिलों के भुगतान सम्मिलित हैं)

6— हल्के वाहन व ईंधन (मानक मद संख्या—15)—

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन—2019 सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नानुसार हल्के वाहनों की अनुमन्यता होगी:—

क्र0 सं0	अधिकारी का पद नाम	वांछित वाहनों की संख्या	वाहन दिवस	औसत कि0मी0 प्रतिदिन
क	जनपद स्तर पर:—			
	1. जिला निर्वाचन अधिकारी	01 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी	01 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	3. प्रभारी अधिकारी पंचास्थानि चुनावालय	01 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	4. उप जिलाधिकारी	01 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	5. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	01 वाहन	60	100
	6. डाक बांटने हेतु	02 वाहन	30	100

क्रमशः............4

	7. प्रभारी अधिकारी	01 वाहन	30	100
	8. प्रभारी अधिकारी मतपत्र	01 वाहन	15	आवश्यकतानुसार
	9. प्रभारी अधिकारी परिवहन	01 वाहन	20	100
	10. प्रभारी अधिकारी लेखन सामग्री	01 वाहन	20	100
	11. आयोग के प्रेक्षक	02 वाहन	05	आवश्यकतानुसार
	12. आरक्षित	03 वाहन	20	आवश्यकतानुसार
ख	विकास खण्ड स्तर परः–			
	1. प्रति जोनल मजिस्ट्रेट / सेक्टर मजिस्ट्रेट	01 वाहन	06	आवश्यकतानुसार
	2. रिर्टनिंग अधिकारी	01 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	3. सहायक रिर्टनिंग अधिकारी	03 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	4. खण्ड विकास अधिकारी	01 वाहन	30	आवश्यकतानुसार
	5. आरक्षित	02 वाहन	10	60

प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सहायक रिर्टनिंग अधिकारियों को पूल (Pool) में 3 वाहन अनुमन्य किये जा सकते हैं। यदि जिला या ब्लॉक स्तर पर उपरोक्त निर्धारित वाहन से अधिक वाहन की आवश्यकता हो तो जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग से अनुमति लेकर अनुमन्य करा सकते है।

उपरोक्त हल्के वाहनों का ईधन व्यय निम्न प्रकार किया जायेगा।

क. प्रति जनपद– जिला निर्वाचन अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय / उप जिलाधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी मतपत्र / परिवहन / कार्मिक / लेखन सामग्री / पंचास्थानि चुनावालय एवं प्रेक्षक हेतु– रू0 1,25,000.00

ख. प्रति विकास खण्ड– खण्ड विकास अधिकारी, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, रिटर्निग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर आदि के लिये अधिकतम नियत धनराशि– रू0 75,000.00

7– भारी वाहनों की संख्या के निर्धारण (मानक मद संख्या–15)–

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 संपन्न कराने हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मतपेटी, चुनाव सामग्री तथा मतपत्रों तथा स्टील बाक्सों को ले जाने व लाने एवं मतदान टोलियों को मतदान केन्द्रों तक पहुचाने एवं वापसी हेतु भारी वाहनों की आवश्यकता होती है, जिसके मानक निम्नानुसार हैः–

1. प्रत्येक विकास खण्ड पर मतपेटी, चुनाव सामग्री तथा मतपत्रों के बक्से आदि पहुंचाने हेतु	01 भारी वाहन 02 दिन प्रति वि0 खण्ड।
2. प्रेस से जनपद तक मतपत्र लाने हेतु	आवश्यकतानुसार
3. मतगणना के पश्चात् सील्ड स्टील बाक्स पहुंचाने हेतु प्रति विकास खण्ड	01 ट्रक 02 दिन
4. खाली मतपेटिकाओं को ब्लाक / निर्धारित स्थल तक पहुंचाने हेतु प्रति 02 विकास खण्ड	01 ट्रक 02 दिन
5. 28 सीटर बस मे अधिकतम जाने वाली मतदान टोलियां	04 टोलियां
6. 45 से अधिक सीटर वाली बसों में जाने वाली मतदान टोलियां	06 टोलियां
7. प्रत्येक विकास खण्ड पर आरक्षित वाहन	03 भारी वाहन 03 दिन
8. जिले स्तर पर आरक्षित वाहन	02 भारी वाहन 03 दिन

क्रमशः............5

8– भारी वाहन किराया एवं ईंधन (मानक मद संख्या–15)–

शासनादेश संख्या–1229/IX-1-65/2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा हल्के/भारी वाहनों के भाड़े की दरों का निर्धारण किया गया है जिसे इस निर्वाचन हेतु स्वीकार किया गया है। तदनुसार ही भाड़े का भुगतान एंव ईंधन की औसत खपत के अनुसार ईंधन देना सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि जनपदों में सरकारी भारी वाहनउपलब्ध हैं तो पहले उनका प्रयोग मतपेटिकाओं व निर्वाचन सामग्री को लाने/ले जाने हेतु किया जाये, तत्पश्चात् ही निजी वाहनों का अधिग्रहण/प्रयोग किया जायें।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 मे प्रयुक्त होने वाले भारी वाहनों के सम्बन्ध में मितव्ययिता हेतु निम्न अनुदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

1. वास्तविक मांग तथा अनुमन्य की गई आवश्यक संख्या सें अधिक वाहनों को अधिगृहित न किया जाय जिससे धनराशि की बचत हो सके।

2. त्रिस्तरीय पंचायतों में पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट विकास खण्ड कार्यालयों से होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि भारी वाहन जिला मुख्यालय पर अधिग्रहीत किये जाते हैं और पुनः उन्हें वहां से विकास खण्ड पर भेजा जाता है जिससे व्यय अधिक होना स्वाभाविक है। अतः यदि वाहनों का अधिग्रहण ब्लाक स्तर पर ही किया जाय तो व्यय में कमी लायी जा सकती है।

3. वास्तविक वाहनों की आवश्यकता जितने दिन के लिए हो उससे अधिक दिनों के लिए वाहनों को न रोका जाय। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही मितव्ययता के दृष्टिगत ही वाहनों को अधिगृहीत किया जाय।

4. यह भी देखा गया है कि डीजल की वास्तविक मांग का आंकलन सही रूप से न कर अधिक मात्रा में गाड़ियों को डीजल दिया जाता है। अतः उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्धारित मानक/खपत के अनुसार ही सही आंकलन कर डीजल दिया जाय, जिससे बचत हो, एवं भारी वाहनों के किराया भुगतान के समय अवशेष डीजल को लॉग बुक से मिलान करते हुए एवं वाहनों के किराया भुगतान से अवश्य समायोजित कर लिया जाय।

5. ईंधन की पर्चियॉ अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर करके जारी की जायें जिससे ईंधन पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

6. आवश्यकता से अधिक बिना औचित्य के ईंधन पर हुए व्यय के लिए **प्रभारी अधिकारी, परिवहन स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

9. संविदा कर्मियों की तैनाती (मानक मद संख्या–16)– सामान्य निर्वाचन में बढ़े हुए कार्यो को सम्पन्न कराने के लिए पूर्व की भांति प्रत्येकविकास खण्ड में 03 माह के लिए 01 तृतीय एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संविदा के आधार पर तैनाती किये जाने एवं वेतन आदि के लिए पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

10– घोड़ा खच्चर से ढुलान की दरें (मानक मद संख्या–42)– पर्वतीय क्षेत्रों मे पैदल मार्गो पर मतदान पार्टियों को मतदान सामग्रियों का ढुलानकिये जाने हेतु घोडा–खच्चर का प्रयोग किया जाना होता है जिस हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप भुगतान किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाये।

1. घोडा खच्चर से मतदान सामग्री की ढुलान दर–	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप

क्रमशः............6

11– मतपेटिकाओं की आयलिंग/ग्रीसिंग तथा हल्की/भारी मरम्मत (मानक मद संख्या–42)–

1– मतपेटिकाओं की आयलिंग/ग्रीसिंग हेतु	रू0 06.00 प्रति मतपेटी
2– मतपेटिकाओं की हल्की मरम्मत एवं आयलिंग/ ग्रीसिंग सहित	रू0 10.00 प्रति मतपेटी
3– मतपेटिकाओं की भारी मरम्मत एवं आयलिंग/ ग्रीसिंग सहित	रू0 100.00 तक अधिकतम प्रति मतपेटी
4– मतपेटिकाओं को ढकने हेतु जल रोधक (Water Proof) थैलों का क्रय–	रू0 150.00 प्रति थैला

गत निर्वाचन में क्रय किय गए उपयोगी जल अवरोधक थैलों की संख्या को घटाते हुए ही आवश्यकतानुसार नए थैले क्रय किए जायं तथा मतदान के पश्चात सभी थैले वापस प्राप्त करके आगामी निर्वाचनों में प्रयोग हेतु सुरक्षित रखे जाएं।

12– स्टील बाक्स क्रय /मरम्मत व ताला क्रय (मानक मद संख्या–42)–

1– निर्वाचन सामग्री को रखने हेतु स्टील बाक्स क्रय (साईज 42''x 24'' x 15'', 20 गेज में) (यदि स्टील बाक्स क्रय किया जाना आवश्यक हो)	रू0 1500.00 अधिकतम प्रति
2– स्टील बाक्सों की मरम्मत हेतु	रू0 100.00 अधिकतम प्रति बाक्स
3– ताला क्रय (वास्तविक आवश्यकता अनुसार)	रू0 50.00 प्रति बाक्स

यदि स्टील बाक्स की भारी मरम्मत कराया जाना अपरिहार्य है तो ऐसी स्थिति में जनपद में कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक ही जिले द्वारा स्टील बाक्स की भारी मरम्मत का कार्य कराया जाये, इससे अधिक स्टील बाक्स की भारी मरम्मत की आवश्यकता होने पर कार्य कराये जाने से पूर्व आयोग की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

13– मतदान/मतगणना की तिथि को हल्का नाश्ता (मानक मद संख्या–42)– निर्वाचन के दौरान मतदान पार्टियों के प्रस्थान तथा मतगणना के दौरान सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को हल्का चाय नाश्ता दिया जाना होता है, जिस हेतु निम्न प्रकार मानक निर्धारित किये गये है:–

1– मतदान स्थलों पर वास्तव में तैनात मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों हेतु (मतदान सामग्री प्राप्त करने के दिन)–	रू0 200.00 प्रति कर्मचारी
2– मतगणना केन्द्रों पर तैनात मतगणना व सुरक्षा कर्मियों हेतु	
क– 24 घंटे तक मतगणना चलने पर अधिकतम–	रू0 30000.00 प्रति मतगणना स्थल
ख– किसी मतगणना स्थल पर 24 से 36 घंटे तक मतगणना होने पर–	रू0 15000.00 अतिरिक्त
ग– 36 घंटे से अधिक मतगणना होने पर –	रू0 15000.00 अतिरिक्त
घ– संपूर्ण निर्वाचन में पंचास्थानि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु एक मुश्त–	रू0 35000.00
च– नामांकन एवं प्रशिक्षण हेतु बुलाये गये कार्मिकों के लिए–	रू0 150.00 प्रति कर्मी
छ– संपूर्ण निर्वाचन में विकास खण्डों मे देर रात काम करने वाले कर्मियों हेतु(निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित होंगे)एक मुश्त–	रू0 20000.00 प्रति वि0ख0

क्रमशः............7

ज– जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ कार्यालय, प्रेस प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के साथ बैठक हेतु – रू0 12500.00 एक मुश्त

झ– निर्वाचन अवधि में आयोग मुख्यालय में देर रात अथवा अवकाश के दिन कार्य करने वाले कर्मियों हेतु– रू0 250.00 प्रति कर्मी

1. मतदान / मतगणना कार्मिकों को पूर्व में देय लंच / हल्का नाश्ता की दरें भी पुनरीक्षित की गई है और पुनरीक्षित दरों के अनुसार कार्मिकों को पैक लंच / हल्का नाश्ता उपलब्ध न कराई जाने की स्थिति में रू0 200.00 प्रति कार्मिक की दर से नकद भुगतान किया जाय।
2. मतदान / मतगणना ड्यूटी हेतु तैनात प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचन के पूर्वाभ्यास / निर्वाचन सामग्री प्राप्ति / मतदान एवं मतगणना के दिनांक पर पैक लंच / हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना है।

   सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि द्वितीय Randomization के पश्चात किसी भी मतदान कार्मिक को मतदान पार्टी के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप आयोजित निर्वाचन के पूर्वाभ्यास, तत्पश्चात मतदेय स्थल के लिए तैनाती के फलस्वरूप निर्वाचन सामग्री आदि की प्राप्ति और मतदान की समाप्ति के पश्चात वापस संग्रह केन्द्र तक पहुंचने तक कुल वास्तविक दिवसों के आधार पर संबंधित कार्मिक को पैक लंच / हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जायेगा, कदाचित पैक लंच / हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कार्मिक को रू0 200.00 प्रति कार्मिक की दर से उक्त प्रयोजन हेतु नकद भुगतान किया जाय। उक्त सुविधा आरक्षित ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को भी अनुमन्य कराई जायेगी।
3. मतदान / मतगणना हेतु तैनात समस्त सुरक्षा कर्मियों यथा मोबाईल पुलिस पार्टी, होमगार्ड, फोरेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल, एन0सी0सी0 सिनियर कैडेट, भूतपूर्व सैनिक एवं केन्द्रीय पैरामिलिट्री फोर्स (सी0पी0एफ0) आदि को भी पैक लंच / हल्का नाश्ता की उक्त सुविधा अनुमन्य कराई जायेगी।
4. पैक लंच / हल्के नाश्ते के रूप में अनुमन्य संपूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्येक दशा में विलम्बतः निर्वाचन सामग्री वितरण के समय ही नियमानुसार कर लिया जाय।

14– <u>मतदान स्थल निर्माण (मानक मद संख्या–42)</u>– मतदान स्थल के अन्दर मतदान हेतु मतदान प्रकोष्ठ का निर्माण मतदान की गोपनीयता / सुचिता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना है। पंचायत निर्वाचन हेतु प्रत्येक मतदान स्थल पर बनाया जाने वाला मतदान प्रकोष्ठ–1 एवं मतदान प्रकोष्ठ–2 मोटे गत्ते का होगा, जिसके सहित मतदान स्थल निर्माण हेतु प्रति मतदान स्थल रू0 500.00 की दर से मानक निर्धारित किए गए हैं। **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात गत्ते के सभी मतदान प्रकोष्ठ वापस प्राप्त कर सुरक्षित रखे जायेंगे और आगामी निर्वाचनों में उपयोग में लाए जायें।**

यह आवश्यक है कि मतदेय स्थलों के निर्माण पर व्यय आयोग द्वारा स्वीकृत दरों के भीतर कराया जाय तथा किसी भी दशा में स्वीकृत दर से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय। मतदेय स्थलों की व्यवस्था / बूथ निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी भवन की कोई दीवार आदि न तोडी जाय। निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, यथासंभव उधार या किराये पर ली जानी चाहिए। जहां कहीं भी मतदेय स्थलों के निर्माण हेतु किसी सामग्री का खरीदना नितान्त आवश्यक हो जाय, सामग्री नियमानुसार खरीद ली जाय, परन्तु मतदान समाप्त हो जाने के बाद इसे राजकीय हित में अधिकाधिक कीमत पर निस्तारित करना अपेक्षित होगा।

क्रमशः............8

15– <u>वीडियोग्राफी (मानक मद संख्या–42)</u>– त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 में पार्दर्शिता एवं गोपनियता बनाये रखने हेतु प्रत्येक मतगणना केन्द्र की वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जानी है जिस हेतु मानक निर्धारित निम्न प्रकार है:–

1. नामांकन से मतगणना तक आवश्यकता अनुसार — रू0 2000.00 प्रति दिन प्रति वीडियोग्राफर कैसेट एवं तैयार सी0डी0 सहित

वीडियोग्राफर 01 जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, 01 निर्वाचन प्रेक्षक एवं 01 प्रत्येक विकास खण्ड हेतु रखा जाएगा।

16– <u>चिकित्सा किट (मानक मद संख्या–42)</u>–

मतदान के दौरान कार्मिकों को दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करना होता है जहां पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नही हो पाती हैकार्मिकों को दूरस्थ मतदान केन्द्रों में अस्वस्थता की स्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति मतदान टोली हेतु एक प्राथमिक चिकित्सा किट जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

1. चिकित्सा किट– — रू0 150.00 प्रति किट

17– <u>प्रेक्षक से संबंधित व्यय (मानक मद संख्या–42)</u>– प्रत्येक जनपद में राज्य निर्वाचन अयोग द्वारा प्रेक्षकों की तैनाती की जाती है जिस हेतु एक मुश्त मानकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. निर्वाचन प्रेक्षक एवं उसके साथ संबद्ध स्टॉफ के व्यय हेतु — रू0 20000.00 प्रति प्रेक्षक

18– <u>प्रकाश व्यवस्था / जनरेटर (मानक मद संख्या–42)</u>– निर्वाचन के दौरान मतदान एवं मतगणना हेतु विद्युत व्यवस्था की जानी आवश्यक होती है जिस हेतु मानकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है:–

1. जिला स्तर पर दो माह हेतु– — 10 लीटर प्रतिदिन
2. विकास खण्ड स्तर पर एक माह– — 10 लीटर प्रतिदिन

जनरेटर का किराया मतगणना / पूर्वाभ्यास मद में दिये गये मानक के अन्तर्गत होगा, केवल ईंधन पृथक से क्रय किया जाएगा

19– <u>नामांकन, प्रशिक्षण, मतदान सामग्री वितरण, मतगणना एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य (मानक मद संख्या–42)</u>– — रू0 2,00,000.00 प्रति वि0खण्ड

नामांकन, प्रशिक्षण, मतदान सामग्री वितरण, मतगणना एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य के अंतर्गत नामांकन प्रशिक्षण मतदान सामग्री वितरण, मतदान सामग्री जमा करना, स्ट्रांग रूम तैयार करना आदि समस्त कार्यों के लिए टैण्ट, बैरिकेटिंग, फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यन्त्र, पेयजल व्यवस्था, उपरोक्त कार्यों हेतु नियुक्त मजदूरों की मजदूरी आदि सभी व्यय सम्मिलित है। कठिन परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) कार्य का आंकलन परीक्षण स्वयं कर अनुमन्य सीमा से अधिकतम 15% तक वृद्धि कर सकते हैं। इससे अधिक भुगतान अपने स्तर से कदापि न किया जाय। अपरिहार्य स्थिति में इससे अधिक व्यय भुगतान की स्वीकृति हेतु आयोग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

क्रमशः...........9

20– <u>आकस्मिक व्यय (मानक मद संख्या–42)</u>– निर्वाचन के दौरान जिला व ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रकार की आकस्मिकतायें आती रहती है जिसमें व्यय किया जाना तत्समय आवश्यक हो जाता है जिस हेतु उक्त मदों के अतिरिक्त जिला अथवा विकास खण्डों पर होने वाले आकस्मिक व्ययों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. जिला स्तर– रू0 30000.00 प्रति जिला
2. विकास खण्ड– रू0 15000.00 प्रति वि0खण्ड

यद्यपि निर्वाचन को सम्पादित कराये जाने हेतु कार्यों/सेवाओं आदि सभी प्रकार की मदों की दरों के मानक निर्धारित किये गये हैं, यदि कोई मद/कार्य/सेवा की दर निर्धारण से छूट गई हो तो उसके सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाय तथा आयोग से यथासमय अनुमति भी प्राप्त कर ली जाय।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त मानकों/निर्देशों का उल्लंघन किसी भी दशा में स्वीकार्य नही होगा। यथाआवश्यक सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं शासन द्वारा जारी नियमावलियों/शासनादेशों एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त संशोधित किये जा रहे मानकों की दरों का प्रभाव पूर्वगामी तिथि से नही होगा, इस निर्वाचन से सम्बन्धित पूर्व में किये गये भुगतान पुनर्उद्घाटित (Reopen) नहीं किये जायेंगे।

06/03/19

(रोशन लाल)
सचिव।

२Uनल

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : — / रा.नि.आ.-लेखा/2568/201

दिनांक 06/3/2019

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्ययों के लिए मानकों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु विभिन्न मदों में **संलग्न तालिकानुसार** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित मानक से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

कृपया उक्त सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका में निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्याः-2378/रा0नि0आ0–लेखा/2568/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमायुं एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड, (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
4. अनुभाग–2, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

06/03/19
(रोशन लाल)
सचिव।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com